

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

गुरका बनाम तहसीलदार पीपलू

किरम मुकदमा-प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट.

प्रकरण संख्या 107 सन् 2025

LACMS  
2025/273

तारीख हुण्ड	हुण्ड या कार्यवाही गद्य इनिशियल्स जज	पावर व तारीख अहकाम जो बहा हुण्ड की तारीख में जारी हुए
03-06-25	<p>पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर तलबी नोटिस प्रतिपक्षी जारी हो। पत्रावली दिनांक 09.06.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टॉक)</p>	
9/6/25	<p>पत्रावली पत्रा हुआ अधिवक्ता प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता/पीपी को आह्वान किया गया है अस्त/ अधिवक्ता पर/अधिवक्ता नाराज होने के कारण पत्रावली एवं अधिवक्ता अनुसार दिनांक 20/6/25... पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	
20/06/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप। तहसीलदार पीपलू ने रिपोर्ट प्राप्त। पत्रावली बादले बहस दिनांक 24.06.25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	
24/06/25	<p>पत्रावली पत्रा हुआ अधिवक्ता प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता/पीपी को आह्वान किया गया है अस्त/ अधिवक्ता पर/अधिवक्ता नाराज होने के कारण पत्रावली एवं अधिवक्ता अनुसार दिनांक 25.06.25... पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	
25/06/25	<p>पत्रावली पेश हुई। उम्मापच उप। पत्रावली में प्रस्तुत रिपोर्ट पर उम्मापच ने बहस का निवेदन किया। बहस उम्मापच सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व उम्मापच की बहस पर गानन किया जाकर प्रस्तुत प्र.पत्र खारिज किया गया। निष्पि पृष्ठ</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	

उप खण्ड अधिकारी  
पीपलू (टॉक)

पृथक् से लिखवाया गया, जो शामिल किया है।  
पत्रावली निर्दिष्ट क्रमांक लेकर दृष्टकर दृष्टित हो सके।  
सिमानुसार नमूने को कम हो।

जय राज ठाकुर  
गोपाल (टीका)